

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, वैशाली, हाजीपुर

**सत्र वाद संख्या 612/2024
राजापाकर थाना कांड संख्या 182/2023**

दिनांक 01.09.2025

सभी दो अभियुक्तों में से एक काराधीन अभियुक्त को वी०सी० के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, शेष एक अभियुक्त की ओर से समयावेदन दाखिल किया गया जिसे आज भर के लिए स्वीकृत किया गया। साक्षी अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गीता कुमारी पिता मिथलेश कुमार ग्राम हसनपुर सुरत, थाना पोस्ट पटोरी, जिला समस्तीपुर की गवाही शेष है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त साक्षी के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करे। डॉक्टर राकेश कुमार मोबाईल संख्या 9102634334 अनुमंडल सदर अस्पताल हाजीपुर के विरुद्ध सिविल सर्जन के माध्यम से सम्मन निर्गत करे। इस संबंध में कार्यालय पुलिस अधीक्षक वैशाली को सूचित करें कि उपरोक्त गवाहों को दिनांक 15.09.2025, 23.09.2025 एवं 14.10.2025 को निश्चित रूप से प्रस्तुत करें, चूंकि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है।

दिनांक 15.09.2025 को साक्ष्य हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय